रमेशकुमार सुथार गोद बनाम उपखंड अधिकारी भीनमाल
प्रकरण सं० 21/2018

22.10.2018

अपीलांट अनुपस्थित व राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल के प्रतिनिधी उपस्थित।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल ने पत्रांक/5214 दिनांक 22.10.2018 द्वारा अवगत करवाया कि आवेदन पत्र में चाही गई सूचना के बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना कार्यालय में उपलब्ध है। जिससे अपीलांट को उपलब्ध करवा दी जावेगी। शेष आवेदित सूचना के संबध में कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड की खोजबीन की गई परंतु उपलब्ध सूचना उपलब्ध नही पाई गई। अत: अपील खारिज की जावे।

हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा पोस्टल आर्डर संख्या 35 एफ 848841 के संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 13.08.2018 के द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल से 4 बिन्दुओ पर सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल बताया बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना कार्यालय में उपलब्ध है। शेष आवेदित सूचना के संबध में कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड की खोजबीन की गई परंतु उपलब्ध सूचना उपलब्ध नहीं पाई गई। हम लोक सूचना अधिकारी की उक्त रिपोर्ट से सहमत है,

इस संबध में उपखंड अधिकारी भीनमाल को निर्देशित किया जाता है कि जो सूचना कार्यालय में उपलब्ध है। वह सूचना अपीलांट को उपलब्ध 15 दिवस की अवधि में निशुल्क उपलब्ध करावे। सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी केवल वही सूचना उपलब्ध कराने के लिये बाध्य है जो उसके कार्यालय में उपलब्ध है। अत: उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

Sd—

(बी.एल.कोठारी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर